न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– शिवपाल जाट , आर.ए.एस.

मुकदमां नम्बर :–81 / 2005 निर्णय दिनांक :– 06.09.2021

1. भैरूराराम पुत्र जगन्नाथराम जाति जाट निवासी भडसियां फौत के का.मु.
   1/1 बाजुदेवी पुत्र भैरूराम पत्नी धन्नाराम जाट निवासी चांदनास
   1/2 मोहनराम पुत्र भैरूराम जाति जाट निवासी भडसियां
   1/3 संतोष पुत्री भैरूराम पत्नी हरकरण जाट निवासी पीह
   1/4 चुकादेवी पुत्री भैरूराम पत्नी हेमाराम जाट निवासी कुलियाणा
   1/5 नोरतीदेवी पुत्री भैरूराम पत्नी छोटूराम जाट निवासी ढाढोता
   1/6 हाबुदेवी पुत्री भैरूराम पत्नी छिगनाराम निवासी सनेडियां
2. श्योदानराम पुत्र हरनाथ जाति जाट निवासी भडसियां फौत के का.मु.
   2/1 सोनीदेवी पत्नी श्योदानराम जाति जाट निवासी भड़सियां
   2/2 मिठू पुत्र श्योदानराम जाति जाट निवासी भडसियां
   2/3 कालु पुत्र श्योदानराम जाति जाट निवासी भडसियां

.....वादीगण

बनाम

1. जीवणीदेवी पत्नी छीतर खां जाति सिपाही निवासी भड़सियां
2. रहीसा बानो पत्नी कमरू खां जाति सिपाही निवासी भड़सियां
3. विवेक कुमार जैन पुत्र आर.सी.जैन निवासी एफ 68 बी, लक्ष्मीनगर दिल्ली
4. त्रिलोचनसिंह पुत्र खजानसिंह जाति सिख निवासी ई 243 शास्त्री नगर नई दिल्ली
5. बुंदे खां पुत्र भोलू खां जाति सिपाही निवासी भड़सिया
6. सबदल खां पुत्र महमद खां जाति सिपाही निवासी भड़सिया
7. सुभान खां पुत्र महमद खां जाति सिपाही निवासी भड़सिया
8. गलकू बेवा महमद खां जाति सिपाही निवासी भड़सिया
9. जाबदी खां पुत्र अनवर खां जाति सिपाही निवासी भड़सिया
10. कम्भा खां पुत्र अनवर खां जाति सिपाही निवासी भड़सिया
11. जीवणी पुत्री अनवर खां जाति सिपाही निवासी भड़सिया
12. भंवरीदेवी बेवा अनवर खां जाति सिपाही निवासी भड़सिया
13. इदुखां पुत्र पुसे खां जाति सिपाही निवासी भड़सिया
14. हुसैनी बैवा छोटू खां जाति सिपाही निवासी भड़सिया
15. अयुब खाां पुत्र छोटू खां जाति सिपाही निवासी भड़सिया
16. शरीफन पुत्री छोटू खां जाति सिपाही निवासी भड़सिया
17. सलीम पुत्र छोटू खां जाति सिपाही निवासी भड़सिया
18. मोहम्मद इस्माई पुत्र छोटू खां जाति सिपाही निवासी भड़सिया

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

19. नवाब खां पुत्र छोटू खां जाति सिपाही निवासी भड़सिया
20. आमना पुत्री छोटू खां जाति सिपाही निवासी भड़सिया
21. रशीदा पुत्री छोटू खां जाति सिपाही निवासी भड़सिया
22. मेहमुदा पुत्री छोटू खां जाति सिपाही निवासी भड़सिया
23. नजमा पुत्री छोटू खां जाति सिपाही निवासी भड़सिया
24. बदु खां पुत्र पुसे खां जाति सिपाही निवासी भड़सिया
25. हस्ती खां पुत्र मोती खां जाति सिपाही निवासी भड़सिया
26. मस्ती खां पुत्र मोती खां जाति सिपाही निवासी भड़सिया
27. अशरफ बेवा मोती खां जाति सिपाही निवासी भड़सिया
28. तीजादेवी बेवा भंवरलाल जाति जाट निवासी भड़सियां
29. सुरजभानसिंह दत्तक भंवरलाल जाट निवासी भड़सियां
30. तहसीलदार, परबतसर

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत :– खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
उपस्थित :– श्री रामनिवास दिवाकर अधिवक्ता वादीगण

निर्णय

1. वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रामनिवास दिवाकर ने यह वाद पेश कर निवेदन किया हैं कि ग्राम भड़सिया के खसरा नम्बर 334 रकबा 11–03 बीघा जिसके बाद में बंटा नम्बर खसरा नम्बर 334 रकबा 3–03 बीघा, खसरा नम्बर 334/1 रकबा 5–10 बीघा तथा खसरा नम्बर 334/2 रकबा 2–10 बीघा भूमि स्थित हैं जो सम्पूर्ण वादीगण के पूर्वजो की कदीमी कब्जे काश्त की भूमि हैं उक्त भूमि पर वादीगण के पिता व दादा कदीम से काश्त करते आ रह हैं और यह जमीन पूर्व एक चक में थी वाद में यह भूमि पारिवारिक बंटवारे में वादीगण के व भंवरलाल के रखी गई वादीगण व भंवरलाल पिछले 60 वर्षो से इस भूमि पर काबिज हैं खसरा नम्बर 334 रकबा 3–03 बीघा वादी भैरूराम के कब्जे काश्त में , तथा खसरा नम्बर 334/2 रकबा 2–10 बीधा वादी श्योदानराम के कब्जे काश्त में तथा बीच का हिस्सा खसरा नम्बर 334/1 रकबा 5–10 बीघा प्रतिवादी भंवरलाल के वारिसान के कब्जे काश्त में चला आ रहा हैं भंवरलाल ने इसी बाबत एक वाद इस न्यायालय में पेश किया था जिसके मुकदमां नम्बर 133/2000 हैं जिसमें पारित निर्णय अनुसार उक्त भूमि की खातेदारी भंवरलाल के पक्ष में डिक्री हो चुका हैं। इस भूमि प्रतिवादी 5 से 29

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

के पूर्वजों का नाम गलती से दर्ज कर दिया गया जबकि उक्त भूमि पर कदीम से वादीगण के कब्जे काश्त में नहीं है, तथा इस भूमि के चपते हुए ही दक्षिण दिशा में वादीगण के परिवार की खातेदारी की भूमि आयी हुई हैं जिन पर अन्य परिवार के सदस्या काबिज हैं जिसके खसरा नम्बर 229, 229/1, 229/2, 302,335, 336, 336/1, 336/2, 338, 339/1, 340, 341, 341/1, 626, 626/1, 707, 707/2, 1004, 1006, 1007, 1016, 1017 है। जिस पर वंशावली में दर्ज सजरा खानदान के अनुसार परिवार के अन्य सदस्य काबिज हैं पारिवारिक बंटवारे में खसरा नम्बर 334 वादीगण व भंवरलाल के बंट में आयी थी। उक्त खसरा नम्बर की खातेदारी प्रतिवादी 5, 6 व 7 ने खातेदारी इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादी 1 से 4 के पक्ष में वादीगण की जमीन को शामिल करते हुए बेचान कर दिया प्रतिवादी सव्राई ने जीवणी व रहीसा बानो के पक्ष में तथा प्रतिवादी चांद खां तथा प्रतिवादी 7 बदु खां ने विवेककुमार तथा त्रिलोचन सिंह के पक्ष में खसरा नम्बर 334, 334/1 व 334/2 की जमीन शामिल करते हुऐ बैचान कर दिया तथा खसरा नम्बर 334/1 की खातेदारी भंवरलाल के वारिसान तीजादेवी व सूरजभान के पक्ष में हैं जिसका भी बैचान कर दिया गया बैचानकर्ताओं को इस जमीन का बैचान करने का कोई अधिकार नहीं था। इस भूमि की खातेदारी में प्रतिवादीगण के पूर्वजो का सेटलमेन्ट की गलती से नाम दर्ज हुआ हैं नाम के इन्द्राज के आधार पर उनके द्वारा बिना कब्जे काश्त के ही भूमि का बैचान किया हैं जो सभी बैचान ऐबनिशीयो वोईड हैं तथा शून्य है। वादीगण ने वाद पेश कर खसरा नम्बर 334 रकबा 3–03 बीघा एवं खसरा नम्बर 334/2 रकबा 2–10 बीधा भूमि में से प्रतिवादीगण के नाम हटाये जाकर तथा बैचान को ऐबनिशीयो वोईड घोषित किया जाकर खसरा नम्बर 334 रकबा 3–03 बीघा भूमि की खातेदारी वादी भैरूराम के नाम एवं खसरा नम्बर 334/2 रकबा 2–10 बीघा भूमि की खातेदारी वादी श्योदानराम के नाम खातेदारी घोषणा कर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने की इस्तदुआ की गई है।

2. वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण 1, 2 7 से 14 एवं 16 से 30 के सम्मन विधिवत रूप से दिनांक 23.03.2010 को तामील होकर प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी 3, 4 के सम्मन रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये जाने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर दिनांक 18.06.2012 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई वादीगण द्वारा प्रतिवादी 5 व 6 के विरूद्ध कोई इस्तदुआ नहीं चाहे जाने पर प्रतिवादीगण 5 व 6 का नाम हफज किया गया। साक्ष्य वादी में वादी कालूराम, गवाह रूपाराम, भंवरलाल, रामनिवास, बलवीरसिंह, जगदीश एवं वादी भैरूराम तथा मिठूराम पुत्र श्योदानराम के बयान लिये गये ओर साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य वादी बन्द की गई।

3. वादीगण के वाद पर वादी के अधिवक्ता श्री रामनिवास दिवाकर की बहस सुनी गई पत्रावली वादी के वाद पर अधिवक्ता की बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया।

4. वादीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस जाहिर किया हैं कि ग्राम भड़सियां के खसरा नम्बर 334 रकबा 11–03 बीघा पूर्व में एक ही चक में था तथा एक ही खसरा नम्बर थे जो वक्त सेटलमेन्ट के समय से ही वादीगण के पूर्वजो के कब्जे काश्त में चला आ रहा था लेकिन सेटलमेन्ट की गलती से उक्त भूमि की खातेदारी में प्रतिवादीगण के पूर्वजो का नाम अंकित हो गया जबकि इस भूमि पर कभी भी प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त नहीं रहा हैं न ही कभी कोई काश्त की गई है, केवल मात्र पुमाईशी नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा हैं वाद के पैरा संख्या 1 में वादीगण का सजरा खानदान अंकित किया हैं जिसके अनुसार ग्राम भड़सिया में अन्य खातेदारी सुदा भूमि के साथ साथ इस भूमि पर भी वादीगण के पूर्वजो का कब्जा काश्त चला आ रहा था पारिवारिक सेटलमेन्ट एवं भौतिक रूप से वादीगण के परिवाद में हुए बंटवारे के अनुसार उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी भंवरलाल के बंट व हक हिस्से में आयी थी तब से इस भूमि पर वादीगण काश्त करते आ रहे हैं इस भूमि में प्रतिवादी भंवरलाल का भी 5–10 बीघा भूमि हिस्सा पारिवारिक बंटवारे में आया था जिसकी खातेदारी पूर्व वाद संख्या 133/2000 में पारित निर्णय दिनांक 16.12.2002 के द्वारा डिक्री होकर खातेदारी दर्ज हो गई हैं। इस भूमि में प्रतिवादीगण ने अपनी अन्य भूमि का बैचान करते समय खातेदारी में नाम दर्ज होने के आधार पर इस भूमि को भी शामिल करते हुए बैचान कर दिया जिसका

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

नामान्तकरण आज दिन तक नहीं हुआ हैं। वक्त सेटलमेन्ट के पूर्व से वादीगण का एवं वादीगण के पूर्वजो का कब्जा काश्त दर्ज होने से उक्त भूमि के वादीगण ओपरेशन बाई लॉ खातेदार काश्तकार हो चुके हैं तथा प्रतिवादीगण द्वारा किया गया बैचान इस भूमि एवं वादीगण के हिस्से तक प्रारम्भ से ही शुन्य है। जिससे इस विवादित आराजीयत की वादीगण खातेदारी पाने के अधिकारी है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य में वादीगण ने गिरदावरी सम्वत 2009 से 2012 पेश की हैं जिसमें ग्राम भडसियां के खसरा नम्बर 334 रकबा 11–03 बीघा भूमि गिरदावरी के कॉलम संख्या 6 नाम उप कृषक विवरण में हरनाथ वगैराह व घीसा पुत्र रहीम लुहार दर्ज है, सम्वत 2010 तथा सम्वत 2012 के कॉलमसंख्या 40 में हरनाथ वगैराह खुद काश्त दर्ज रिकार्ड हैं सम्वत 2013 में से उक्त भूमि हरनाथ वगैराह की काश्त में दर्ज हैं इसी प्रकार सम्वत 2014–2017 में भी हरनाथ वगैराह खुद काश्त दर्ज है। सम्वत 2018–2021 में हरनाथ वगैराह तथा काश्त हरनाथ , भैरूराम बदस्तुर दर्ज रिकार्ड हैं सम्वत 2030 – 33 में कॉलम संख्या 6 में चांद खां वगैराह दर्ज हैं। जमाबन्दी सम्वत 2058–61 पेश की हैं जिसके अनुसार ग्राम भड़सिया के खसरा नम्बर 110/1, 171, 172, 334, 334/1, 334/2 कुल रकबा 29–00 बीघा भूमि चांदखा बुदेखा पि. भोलू खां, सबदला खां सुभान खाां पि. महमद खां गलकू देवी बेवा महमद खां 1/3 हिस्सा, सावाई खां पुत्र भूरे खां 1/3 हिस्सा जाबदी खाां कम्भा खां पि. अनवर खां , भंवरी बेवा अनवर खां, ईदू खां छोटू खां बदू खां पि. पुसे खा , इदू खां छोटे खां बदू खां पि. पुसे खां हस्ती खां मस्ती खां पि. मोती खां अशरफ बेवा मोती खां 1/3 जाति सिपाही सा. देह खातेदार दर्ज हैं जिसमें से जरिये नामान्तकरण संख्या 812 रकबा 23.04.2003 के द्वारा खसरा नम्बर 334/1 रकबा 5–10 बीघा भूमि की खातेदारी भंवरलाल पुत्र शिवकरण कौम जाट सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड की गई हैं तथा छोटू खां पुत्र पूसे खां के सम्पूर्ण हिस्से के स्थान पर हुसैनी बेवा छोटू खां अयूब खान पुत्र छोटू खां सरीफन पुत्री छोटू खां, सेलीम मो. इस्लाम, नवाब पि. छोटू आमना रसीदा मेमूदा नजमा पुत्री छोटू खां नाबालिग स्वीकृत हुआ हैं तथा भंवरलाल पुत्र शिवकरण फौत होने पर उसके वारिसान के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड की गई है। वादीगण ने अपने वाद में ऐसा कोई दस्तावेज या जमाबन्दी

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

पेश नहीं की है जिससे कभी भी विवादित आराजीयत में वादीगण या वादीगण के पूर्वजो का नाम दर्ज रहा हो। उक्त भूमि प्रथम सेटलमेन्ट समय से ही प्रतिवादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज रही है वादीगण के पूर्वजो की काश्त दर्ज रही है लेकिन कभी भी खातेदारी में नाम दर्ज नहीं रहा है, केवल मात्र कब्जे के आधार रेकर्डेड खातेदार का नाम हटाया जाकर वादीगण को खातेदार दर्ज नहीं की जा सकती है। प्रतिकुल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषणा करने का कोई कानून में कोई अधिकार नहीं है, काश्त होने एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित नहीं किया जा सकता है। जिससे वादीगण का वाद साबित नहीं होता है। स्वीकर किये जाने योग्य नहीं है।

अतः वादीगण का वाद साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/9/21

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)